न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 138/2017

1. कजौडी पुत्र कलुआ
2. किशन पुत्र कलुआ

जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम गंगावक तह0 नगर

वादीगण

बनाम

कलुआ पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम गंगावक तह0 नगर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित —

श्री अनिल कुमार गोयल, वकील वादी

निर्णय दिनांक 23/11/2017

वादीगण ने यह वाद इस आशय का संस्थित कराया है कि भूखण्ड ख0नं0 346 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा बाके ग्राम गंगावक से हाल नम्बर 392/0.31 बाके ग्राम गंगावक तह0 नगर कायम हुआ है जिस पर वादीगण के पिता कलुआ पुत्र छाजू जाति गूर्जर निवासी ग्राम गंगावक तह0 नगर के कब्जेकाश्त खातेदारी का रकबा है । दौराने सेटिलमेन्ट उक्त साविक खसरा नम्बर 346 से बने हाल खसरा नम्बर 392 पर सैटिलमैन्ट कर्मियों की भूल से वादीगण के पिता कलुआ पुत्र छाजू के नाम इन्द्राज न करने कलुआ के हम नाम कलुआ पुत्र बदले के नाम इन्द्राज कर दिये हैं जो कि न्याय सिद्धान्त एवं कानून के विपरीत हैं । कानूनन सैटिलमैन्ट कर्मियों को किसी भी प्रकार के इन्द्राज तब्दील करने का कोई कानूनी हक हांसिल नही है । गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है और वह अब कब्जे काश्त वादीगण में हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं जिसके संबंध में प्रतिवादी ने दिनांक 15/11/2017 को स्पष्ट धमकी दे दी है कि मैं वादीगण को यथा शीघ्र रकवा मुतदाविया को रहनवय मुन्तकिल कर दूंगा । प्रतिवादी

अपने इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण की सख्त हकतलफी होगी नुकसान अजीम होगा जिसकी भरपाई जरिये नकद नही हो सकेगी । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूखण्ड खसरा नम्बर 392/0.31 वाके ग्राम गंगावक तहसील नगर पर राजस्व इन्द्राज शुद्धि कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान में हो रहे कब्जे व मौके के विपरीत इन्द्राज प्रतिवादी कलुआ पुत्र बदले कलमजन किये जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी की ओर से दिनांक 22.11.2017 को राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है अब हम पक्षकारान के मध्य कोई तनाव शेष नही है । साविक खसरा नम्बर 346 रकवा 1 बीघा 11 विश्वा बाके ग्राम गंगावक तह0 नगर वादीगण के पिता कलुआ पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी गंगावक तह0 नगर के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा है मुझ प्रतिवादी का उक्त रकवे से कोई वास्ता किसी भी किस्म का का ना कभी रहा है और ना है । कलुआ पुत्र छाजू फौत हो चुका है जिसके वादीगण वारिसान हैं । मौके पर वादीगण काबिज काश्त हैं । उक्त साविक नम्बर का हाल नम्बर 392/0.31 कायम हुआ है जिस पर वादीगण आज भी काबिज काश्त हैं । उक्त राजीनामा प्रमाणित किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी 2069–2072 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी (खैवट खतौनी) सम्वत् 2021–2024, ग्राम गंगावक प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी (खैवट खतौनी) सम्वत् 2025 प्रदर्श–3 एवं खसरा पत्रक भूप्रबंध विभाग प्रदर्श–4 प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी किशन पीडब्ल्यू–1 एवं गवाह रामदेव पीडब्ल्यू–2 एवं जहान पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं । हमने वादी के विद्वान अभिभाषक की वहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । नकल खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श–4 के अवलोकन से हाल खसरा नम्बर 392/0.31, साविक खसरा नम्बर 346 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा से बनाया जाना साबित होता है जिसके कॉलम नम्बर 22 में नाम खातेदार गत भू–माप में कलुआ वल्द छाजू कौम गूर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है जिसमें छाजू को काटकर बदले किया गया है । नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 प्रदर्श–1 में हाल खसरा नम्बर 392/0.31 की बावत् कलुआ वल्द बदले जाति गूर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है । नकल जमाबंदी

सम्वत् 2011 से 2014 प्रदर्श–2 के खाता संख्या 7 पर साविक ख0नं0 346 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा में कलुआ वल्द छाजू गुर्जर साकिन देह खातेदार इ0नं0 167 दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबंदी 2025 प्रदर्श–3 में साविक ख0नं0 346 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा कलुआ वल्द छाजू गुर्जर साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से यह साबित होता है कि विवादित आराजी ख0नं0 346 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा कलुआ वल्द छाजू की खातेदारी की भूमि है जबकि भू–प्रबंध विभाग में मिलान क्षेत्रफल में कलुआ वल्द छाजू के स्थान पर कटिंग की जाकर कलुआ वल्द बदले दर्ज किया गया है जबकि कानूनन सैटिलमेन्ट विभाग को पूर्व के ही इन्द्राज ही दौहराने चाहिए । सैटिलमेन्ट विभाग सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना साविक इन्द्राजों में परिवर्तन नही कर सकता । इस तथ्य को प्रतिवादी कलुआ वल्द बदले ने राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता कलुआ वल्द छाजू के खातेदारी की आराजी रही है जिस पर आज तक उन्ही का कब्जा काश्त है । प्रतिवादी का विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध नही है । इस पकार उक्त समस्त विवेचन से दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है । आराजी ख0नं0 392/0.31 बाके ग्राम गंगावक में प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करें । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 23/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर